अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 11/2014

छठु लाल साह, पंचायत–रसौली, पंखंड–पानापुर,

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 2125 दिनांक 14.06.2013 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अनुमंडल स्तरीय जॉच दल के जॉच पदाधिकरी श्री मनोज कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा दिनांक 12.04.2013 को छठु लाल साह, ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति संख्या–01/07, पंचायत–रसौली, प्रखंड–पानापुर की दूकान की जॉच की गई। जॉच को कम में, निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई– 1. कैश मेमो नहीं दिया जाता है। 2. माप–तौल निबंधन प्रामण पत्र जॉच पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। 3. विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि विक्रेता के द्वारा 2.5 लीटर किरासन तेल देकर 45 रू0 लिया जाता है। 4. विक्रेता के द्वारा दिनांक 11.04.2013 को बी0पी0एल0 में 11.90 एवं अन्त्योदय में 4.90 क्वि0 गेहूँ का उठाव किया गया है, लेकिन जॉच की तिथि को भण्डार में उठाव किए गए गेहूँ उपलब्ध नही पाया गया। 5. विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि माह जनवरी 2013 को गेहूँ का वितरण नही किया गया है। 6. विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया	

गया है कि बी0पी0एल0 योजना में 20 किलों खाद्यान्न देकर 150 रू0 लिया जाता है।

7. माह जनवारी 2013 के विरूद्ध दिनांक 04.04.2013 को बी0पी0एल0 गेहूँ का उठाव किया गया है जिसका वितरण भण्डार पंजी में दिनांक 08.04.2013 से 10.04.2013 तक किया गया है, लेकिन विक्री पंजी में वितरण प्रद्रर्शित नहीं किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 1397, दिनांक 26.04.2013 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए कारण पृच्छा किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पानापुर के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पानापुर थाना में कांड सं0–34/13 दिनांक 18.05.2013 दायर किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोष जनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति अपने ज्ञापांक 2125 दिनांक 14.06.2013 से रद्द कर दी गई।

उक्त थाना कांड संख्या से संबंधित विचारण वाद में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा विक्रेता को दोष मुक्त कर दिया गया। न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न कर अनुज्ञापन पदाधिकारी से आवेदक के द्वारा उसकी रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होने की वजह से आवेदक को निर्देश दिया गया कि वे जिला दंडाधिकारी, सारण के न्यायालय में वाद दाखिल करें, जिसके आलोक में यह वाद प्रारंभ हुआ।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विद्धान सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा के द्वारा पानापुर थाना कांड सं0–34/13 से संबंधित विचारण वाद में दिनांक 22.10.2013 को पारित आदेश में विक्रेता को दोष मुक्त कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि चूकि विकता से संबंधित विचारण वाद में माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है, इसलिए उनकी रद्द अनुज्ञप्ति को पुन–

जीवित किया जाना विधिसम्मत होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज पानापुर थाना कांड संख्या–34/13 से संबंधित विचारण वाद में अपीलार्थी को विद्वान मुख्य न्यायाधीश, सारण, छपरा के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2125 दिनांक 14.06.2013) का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 25.07.2014 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 85 /दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।
15/1/16